प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 6072/2005

याचिकाकर्ता - अजीत सिंह राजपूत

बनाम

उत्तरवादीगण - भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य

आदेश हेतु दिनांक 27.02.2007 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 6072/2005

याचिकाकर्ता - अजीत सिंह राजपूत

बनाम

उत्तरवादीगण - भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

....

उपस्थितः

श्री दीपक जैन, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता — उत्तरवादीगण की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

....

आदेश

(दिनांक 27 फरवरी, 2007 को पारित)

(1) इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दिनांक 07.03.2005 (अनुलग्नक पी.-4) के उस आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जिसके तहत अनुकंपा नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ता के आवेदन को निरस्त कर दिया गया।

(2) निर्विवाद तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय श्री जय सिंह राजपूत, जो भारतीय स्टेट बैंक की नेवरा शाखा, जिला-रायपुर में होम गार्ड के पद पर कार्यरत थे, का (अनुलग्नक पी.-1) दिनांक 03.06.2001 को सेवा में रहते हुए निधन हो गया।

(3) याचिकाकर्ता की माता ने याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन (अनुलग्नक पी.-3) प्रस्तुत किया। उत्तरवादी भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 07.03.2005

(अनुलग्नक पी.-4) के पत्र द्वारा सूचित किया कि याचिकाकर्ता के परिवार की आय पर्याप्त है और वह मृतक के निधन के बाद उत्पन्न आर्थिक संकट से उबरने में सक्षम है, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती।

(4) याचिकाकर्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता, अपने दिवंगत पिता की आश्रित होने के नाते, उत्तरवादी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बनाए गए अनुकंपा नियुक्ति योजना के अनुसार नियुक्ति पाने की अधिकारी है, जो मृत कर्मचारी या चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रितों के लिए लागू होती है।

(5) योजना की धारा 10 के अनुसार, परिवार की आर्थिक स्थिति का निर्धारण अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है।

धारा 10 का प्रावधान निम्नानुसार है :-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"10. परिवार की आर्थिक स्थिति

सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियाँ सामान्यतः आवेदन आमंत्रण एवं योग्यता के आधार पर की जाती हैं। तथापि, सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों के पक्ष में अपवाद किया जाता है, जो अपने परिवार को निर्धनता एवं आजीविका के साधनों के अभाव में छोड़ जाते हैं। अतः अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति का निर्धारण एक महत्वपूर्ण मानदंड है। परिवार की आर्थिक स्थिति निर्धारित करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :-

(i) पारिवारिक पेंशन

(ii) प्राप्त ग्रेच्युटी राशि

(iii) भविष्य निधि में कर्मचारी/नियोक्ता का अंशदान

(iv) बैंक या उसके वेलफेयर फंड द्वारा दिया गया कोई प्रतिकर

(v) एल.आई.सी. पॉलिसियों तथा मृत कर्मचारी के अन्य निवेशों से प्राप्त राशि

(vi) परिवार की अन्य स्रोतों से आय

(vii) परिवार के अन्य सदस्यों की नौकरी या अन्य स्रोतों से आय

(viii) परिवार का आकार तथा सत्यापन योग्य देनदारियाँ, यदि कोई हों।

(6) उत्तरवादी भारतीय स्टेट बैंक ने अपने जवाब में यह प्रस्तुत किया कि मृतक पिता का शुद्ध हाथ में प्राप्त वेतन 4,306/- रूपये प्रतिमाह था तथा पारिवारिक पेंशन एवं मौद्रिक आस्तियां पर अनुमानित ब्याज सहित परिवार की कुल मासिक आय 5,398/- रूपये आंकी गई है। इसके संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं :-

वित्तीय मानदंड :

(A) अंतिम लाभ/परिसंपत्तियाँ	**3,25,706/-**	**(B) बैंक देनदारियाँ**	**रूपये 20,726/-**
(i) भविष्य निधि	रूपये 2,17,978/-	(I) उपभोक्ता ऋण	14,694
(ii) ग्रेच्युटी	रूपये 1,07,728/-	(ii) वाहन ऋण	1032
(iii) अवकाश नकदीकरण	-	(iii) आवास ऋण	-
(iv) एम.डबल्यू.एस	-	(iv) त्यौहार अग्रिम	5000
		(v) व्यक्तिगत ऋण	-
		(vi) अन्य	-
I) टर्मिनल लाभों के शुद्ध कोष का 80% (रु. 304980/-(A-B) रुपये			**243984**

(A) कुल निवेश	**रूपये 84,993/-**	**(B) जमा/निवेश के विरुद्ध लिया गया ऋण (राशि रुपये में)**	-
(i) जमा	-	(i) ओवरड्राफ़्ट	-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(ii) एन.एस.सी. + ब्याज	-	(ii) मांग ऋण (उल्लेख करें)	-
(iii) पी.पी.एफ.	-	(iii) अन्य (उल्लेख करें)	-
(iv) बीमा पॉलिसियाँ	-		-
(v) क्रेडिट सोसायटी (यदि कोई हो)	-		
vi) अन्य यूलिप			
II) निवेश का शुद्ध कोष (A-B) रु. 84,993/-			

8. उपलब्ध निधियों का शुद्ध कोष रूपये 3,28,977/-

I. रु. 2,43,984/-

II रु. 84,993/-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. अनुमानित मासिक आय की गणना रु. 5,378/-

i. पेंशन + डीए 1439+1335

II. प्रति माह एम.डबल्यू.एस अनुतोष रु. शून्य रु. 2,774/-

iii. उपलब्ध निधियों के शुद्ध कोष पर अधिकतम टीडीआर दर से ब्याज अर्थात् (7) @ 9.50% प्रति वर्ष रु. 2,604/-

iv. परिवार के अन्य कार्यरत सदस्यों की आय रु. शून्य

v. अन्य (उल्लेख करें) रु. शून्य

10. a) अंतिम आहरित सकल वेतन रु.7,827

b) अंतिम प्राप्त शुद्ध वेतन रु. 4,306/-

(7) इसी प्रकार की योजना भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम जसपाल कौर (जेटी 2007 (3) एससी 35) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आई। उक्त

प्रकरण में योजना तथा आय के स्रोतों पर विचार करने के उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 27 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :-

> "27. अतः अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते समय एक प्रमुख मानदंड यह होना चाहिए कि मृतक द्वारा पीछे छोड़े गए परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। जब तक परिवार की आर्थिक स्थिति पूर्णतः खराब न हो, तब तक ऐसी नियुक्ति नहीं दी जा सकती। वर्तमान प्रकरण में, उत्तरवादी के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा 4,57,607/- रुपये की राशि अंतिम सेवा लाभ के रूप में प्रदान की जा चुकी है (19,183/- रुपये की देनदारियों की कटौती के पश्चात)। इसके अतिरिक्त 2,055/- रुपये प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन तथा स्टाफ म्यूचुअल वेलफेयर योजना के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है। साथ ही, परिवार की कुल मासिक आय 5,855/- रुपये है 2,055/- रुपये पेंशन + 3,800/-रुपये निवेश पर अनुमानित ब्याज)। सक्षम तथ्य-निर्धारण प्राधिकारी ने उपर्युक्त वित्तीय विवरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय नहीं है तथा परिवार अपने भरण-पोषण के लिए पर्याप्त आय अर्जित कर रहा है। अतः उत्तरवादी को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हम बैंक प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक नहीं समझते।

(8) वर्तमान प्रकरण में, प्राधिकरणों ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि परिवार अपने भरण-पोषण हेतु पर्याप्त आय अर्जित कर रहा है। अतः इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए, बैंक प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दिनांक 07.03.2005 का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय की अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

(9) परिणामस्वरूप तथा उपर्युक्त कारणों के आधार पर, यह रिट याचिका निरस्त की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur